रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 124] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 1981/ज्येष्ठ 19, 1903
No. 124] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 1981/JYAISTHA 19, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं० 47-ईटी सी (पी एन)/81

नई दिल्ली, 9 जून, 1981

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय : 1981-82 के दौरान भारतीय बकरों के मास के निर्यात से संबंधित नीति ।

मि० सं० 1/28/81-ई० 1.—उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं० ई (सी) ओ, 1977 /ए एम (210), दिनांक 9 जून 1981 की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसकी शर्तों के अनुसार बकरे के मास के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है।

2. मासिक आधार पर जारी किए जाने वाले सीमित उच्चतम सीमा के भीतर भारतीय बकरे के मांस के निर्यात की अनुमति देने के लिए निश्चय किया गया है जो न्यूनतम प्रति किलो ग्राम 16 रुपए जहाज पर निःशुल्क मूल्य की निर्यात कीमत के अधीन है। उच्चतम सीमा ताजा मांस और जीवित पशु धन निर्यातक संघ, बम्बई और साथ ही साथ गुजरात राज्य निर्यात निगम लि० अहमदाबाद, के पास निपटान की लिए रखी गई है। कोटे का नियन्त्रण जहाजरानी बिल/वायुयान द्वारा पृष्ठांकन करके किया जाएगा। यह पृष्ठांकन पथ्य वस्तु की शीघ्र सड़ने की प्रवृत्ति का ध्यान में रखते हुए अधिकतम 72 घंटे की अवधि के लिए वैध होगा। उपर्युक्त निर्यातों का देसी मंडियों में माल की उपलब्धता के अनुसार नियमित किया जाएगा जो निम्नलिखित पैरा में लिखित शर्तों के अधीन होगा।

3. उपर्युक्त बातों का ध्यान में रखकर निम्नलिखित प्रविष्टि अप्रैल 1981-मार्च 1982 की निर्यात नीति के नीति विवरण की क्रम सं० 6(ख) के बाद पृष्ठ सं० 11 पर निम्न प्रकार से जोड़ी जाएगी :—

1	2	3
6(ग)	भारतीय बकरे का मास जिसमें हृदय, जिगर, फेफड़े, मस्तिष्क, जीभ, किडनी और अन्य भाग शामिल हैं।	भारतीय बकरे के मांस के निर्यात की अनुमति जहाजरानी बिल/वायुयान बिल प्रस्तुत करने पर मासिक आधार पर रिलीज का जाने वाली सीमित उच्चतम सीमा के भीतर 16 रुपए प्रति कि०ग्रा० जहाज पर निःशुल्क मूल्य के अधिकतम निर्यात कीमत के अधीन दी जाएगी जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :— (1) निर्यात एकदम बिक्री के आधार पर होगा और किसी प्रकार के परेषण निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी। (2) कोटे का नियंत्रण जहाजरानी बिल/वायुयान बिल पर पृष्ठांकन करके किया जाएगा जो अधिकतम 72 घंटे की अवधि के लिए वैध होगा।

1	2	3
		(3) उच्चतम सीमा तक ताजा मांस और जीवित पशु निर्यात संघ, बंबई और गुजरात राज्य निर्यात निगम लि०, अहमदाबाद के पास विघटन के लिए रखा जाएगा। कोटे का नियमन करने के लिए अभिकरणों द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शन का अनुसरण करना होगा :
		(क) नियत एजेन्सियों को इस बात का सुनिश्चय करने के बाद कि जीवित बकरों को मारने के लिए स्थानीय मंडी से खरीद इस बात का सुनिश्चय करने के बाद की जाती है कि घरेलू बाजारों में रोज-रोज की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। यदि किसी खास दिन को इस जरूरत से कम कुल आमद होती है तो निर्यात के लिए किसी प्रकार की खरीद नहीं की जाएगी।
		(ख) यदि उपर्युक्त (क) की शर्तें पूरी की जाती हैं तो निर्यातक मारने के लिए बकरों की खरीद के लिए बाजार में जब जाएंगे जब घरेलू जरूरतों के लिए खरीद कर ली जाती है। इसी आधार पर वे कत्ल गृह का उपयोग तब करेंगे जबकि घरेलू उपयोग के लिए बकरों को मारने का काम पूरा हो जाता है।
		(ग) संघ द्वारा एक निर्यातक को इसका नियतन पहले आए सो पहले पाए के आधार पर करना चाहिए लेकिन निर्यात नीति 1981-82 के पैरा 14 की व्यवस्थाएं इस मामले में लागू नहीं होंगी।
		(घ) पण्य वस्तु की शीघ्र सड़ने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि मासिक उच्चतम सीमा को पूरा किया जाना है, एक निर्यातक को कोटे के नियतन की वैध अवधि 72 घंटे ही होगी।
		(ङ) नियत एजेन्सियों को पूर्व के महीनों में किए गए निर्यातों की सूचना वाणिज्य मंत्रालय को अगले महीने की 7 तारीख तक देंगे।
		(4) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्यात की अनुमति ताजा मांस और जीवित पशु धन निर्यातक संघ द्वारा नियत किए गए कोटे के आधार पर सीधे ही किया जाएगा। गुजरात राज्य निर्यात निगम लि० के मामले में निर्यात उनके खाते पर ही किए जाएंगे।

कु० रोमा मजुमदार, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE No. 47—ETC(PN)/81

New Delhi, the 9th June, 1981

EXPORT TRADE CONTROL

Sub. : Export of meat of Indian goat during 1981-82—Policy regarding.

F. No.1/28/81-EI.—Attention is invited to Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM (210) dated the 9th June, 1981, on the above subject, in terms of which ban on export of goat meat has been lifted.

2. It has since been decided to allow export of meat of Indian Goat within a limited ceiling released on monthly basis subject to a minimum export price of Rs. 16/- per Kg. f.o.b. The ceiling will be placed at the disposal of the Fresh Meat and Live Stock Exporters' Association, Bombay as well as the Gujarat State Export Corporation Ltd., Ahmedabad. The allocation of quota will be by way of endorsement on Shipping Bills/Airway Bills. The endorsement will be valid for a maximum period of 72 hours in view of the perishable nature of the commodity. The aforesaid export shall be regulated according to the availability of the commodities within the domestic mandis, subject to the conditions indicated in the following paragraph.

3. In view of the above, the following entry shall be made on page 11, after S.No. 6(b) of Policy Statement of Export Policy, April, 1981—March, 1982, as under :

1	2	3
6(c)	Meat of Indian Goat—including heart, liver, lungs, brain, tongue, kidneys and other organs:	Export of meat of Indian Goat will be allowed subject to MEP of Rs. 16/- per Kg. f.o.b. within a limited ceiling released on monthly basis on presentation of Shipping Bills/Airway Bills, subject to the following conditions :
		(i) Export will be on outright sale basis and no consignment export shall be allowed.

1	2	3
		(ii) The allocation of quota will be by way of endorsement on Shipping Bills/ Airway Bills valid for a maximum period of 72 hours.
		(iii) The ceiling will be placed at the disposal of Fresh Meat and Live Stock Exporters' Association at Bombay and the Gujarat State Export Corporation Ltd., Ahmedabad.
		The following guidelines will be followed by the agencies regulating the quota.
		(a) The designated agencies should ensure that exporters purchase live goat for slaughter from the local mandis only after the daily requirements in the domestic market are met. If the total arrival on any particular day falls short of this requirement no purchases for export should be made.
		(b) In case the condition at (a) above is met, exporters will enter the market for purchase of goat for slaughter at a time after the domestic requirements have been purchased. Similarly they will use the Slaughter House only after slaughtering for domestic consumption has been done.
		(c) Allocation to individual exporters by the Association should be made on first-come, first-served basis However, provisions of Para 14 of Export Policy 1981–82 will not apply in this case.
		(d) In view of the highly perishable nature of the commodity and also since monthly ceilings will have to be met,the validity of quota allocation to individual exporters will be 72 hours only.
		(e) The designated Agencies will inform the Ministry of Commerce by the 7th of the succeeding month the figures of exports made during the preceding month.
		(iv) The export will be allowed by the customs Authorities directly on the basis of quota allocation made by Fresh Meat and Live Stocks Exporters' Association. In the case of the Gujarat State Export Corporation Ltd., exports will be done on their own account.

ROMA MAZUMDAR, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981